बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना–800 010

अधिसूचना संख्या– 10 पटना, दिनांकः– 27-12-24

अधिसूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बायो–फर्टिलाईजर एवं कार्बोनिक खाद बनाने वाली इकाई को सफेद श्रेणी (White Category) के रूप में वर्गीकरण किया गया है तथा उक्त श्रेणी के उद्योग को सहमति प्रबंधन से भी मुक्त किया गया है।

सेपटिक टैंक से निकलने वाला कच्चा या आंशिक रूप से Digested फेकल स्लज को पुनः इसे उपचारित कर कार्बनिक खाद/बायो–फर्टिलाईजर तैयार किया जाता है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् मंडल की दिनांक–20.12.2024 को 119वीं बैठक के कार्यावली संख्या–6 में लिये गये निर्णय के आलोक में फेकल स्लज उपचार व्यवस्था (Faecal Sludge Treatment Plant) के स्थापनार्थ दूरी संबंधी मापदंड के रूप में नदी, उच्च–पथ, आवासीय, पब्लिक पार्क एवं जल आपूर्त्ति कुआं/नल से 200 मीटर; एवं हवाई अड्डा से 20 किलोमीटर न्यूनतम दूरी निर्धारित की जाती है। परन्तु, नमामि गंगे परियोजना एवं जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना उपरोक्त दूरी संबंधी मापदंड से मुक्त रहेगा।

बायो–फर्टिलाईजर एवं कार्बोनिक खाद बनाने वाली इकाई को सफेद श्रेणी (White Category) के रूप में वर्गीकरण के समतुल्य फेकल स्लज उपचार व्यवस्था को सफेद श्रेणी का उद्योग मानते हुए सहमति प्रबंधन से भी मुक्त किया जाता है।

ह0/–
(नीरज नारायण)
सदस्य–सचिव।

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
(नीरज नारायण)
सदस्य–सचिव।

ज्ञापांकः– 2194 पटना, दिनांकः– 27-12-24

प्रतिलिपिः–पर्षद् विश्लेषक/वैज्ञानिक सलाहकार/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/12/2024
(नीरज नारायण)
सदस्य–सचिव।